



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

- सीकर में सुमन कुमारी पटवारी, पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना 7,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 02 फरवरी 2026, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी, पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को परिवादी से 7,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी सीकर चौकी को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी से उसके पिता एवं चाचा का नाम जमाबंदी में दुरस्त करने की एवज में परिवादी से 7,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

एसीबी जयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ श्री अनिल कयाल के सुपरवीजन में एसीबी की सीकर ईकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी, पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को 7,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार के सुपरविजन में आरोपिया से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।